



ज्ञान-विज्ञान विमुक्तये

प्रो. रजनीश जैन  
सचिव

Prof. Rajnish Jain  
Secretary



सत्यमेव जयते

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)  
(Ministry of Education, Govt. of India)

बहादुरशाह जफ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002  
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Ph.: 011-23236288/23239337

Fax : 011-2323 8858

E-mail : secy.ugc@nic.in

अर्ध शासकीय पत्र संख्या I-46/2020 (एनएडी/डिजिलॉकर)

जनवरी 27, 2022

विषय: डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रस्तुत की गई डिग्री, अंक-तालिका और अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों की स्वीकृति के संबंध में।

आदरणीय महोदय/महोदया,

जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्रीय शैक्षणिक निक्षेपागार (NAD) शैक्षणिक संस्थानों द्वारा डिजिटल प्रारूप में जारी किए गए शैक्षणिक प्रमाण पत्रों (डिग्री, अंक-तालिका, आदि) का एक ऑनलाइन भंडार है। यह विद्यार्थियों को किसी भी भौतिक हस्तक्षेप के बिना कभी भी, कहीं भी अपने मूल जारीकर्ताओं से सीधे डिजिटल प्रारूप में प्रामाणिक दस्तावेज / प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।


भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को NAD को एकल डिपॉजिटरी डिजिलॉकर के सहयोग से किसी भी उपयोगकर्ता शुल्क के बिना स्थायी योजना के रूप में लागू करने के लिए अधिकृत किया है। शैक्षणिक संस्थान डिजिलॉकर NAD पोर्टल के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं और फिर अपने संस्थान के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों को उस पर अपलोड कर सकते हैं।

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की डिजिलॉकर पोर्टल में जारीकर्ता के माध्यम से अपलोड किए जाने के बाद छात्र अपने डिग्री, मार्क-शीट और अन्य दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपने डिजिलॉकर खाते में प्राप्त कर सकते हैं। डिजिलॉकर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध ये इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अनुसार वैध दस्तावेज हैं।

NAD कार्यक्रम के संवर्धन हेतु, सभी शैक्षणिक संस्थानों से अनुरोध है कि डिजिलॉकर खाते में जारी किए गए दस्तावेजों में उपलब्ध डिग्री, अंक-तालिका और अन्य दस्तावेजों को वैध दस्तावेजों के रूप में स्वीकार करें।

सादर

आपका

  
(रजनीश जैन)

प्रतिलिपि:

1. सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति
2. राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के निदेशक
3. सभी राज्यों के सचिव/प्रधान सचिव (उच्चतर और विद्यालय शिक्षा)।
4. अध्यक्ष एवं सीईओ, एनईजीडी (NeGD), एमईआईटीवाई (MietY)।